13.08.15

पंचायतों पेश हुई वादी एवं वादी के
वकील हाजिर नहीं। विधिवत आवाजें
हिलाये जाने कोई उपस्थित नहीं आने
से प्रकरण अग्रिम हाजरी अग्रिम तारीख
में खारिज किया जाता है पंचायती
निर्णित होकर संख्या से अंकित
निर्णय सुनाया गया।